HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9468/2026
CNR: RJHC010667192026
URN: CRLMB / 20605U / 2026

Surendra S/o Diwan Singh, Aged About 40 Years, R/o Padav Chowk, Behind Uttam Dharamshala Hisar, Police Station Hisar City, District Hisar (Haryana)
(Lodged In Sub Jail, Sanchore)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anand Prakash
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

17/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना **सांचौर, जिला जालौर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **423/2020,** अपराध अन्तर्गत धारा **19/54, 14/57 एवं 54डी राजस्थान आबकारी अधिनियम** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप है जो कि मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सहअभियुक्त बलवंताराम, रमेश कुमार व प्रहलादराम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र क्रमशः 15029/2020 व 11431/2020 इस न्यायालय के आदेश दिनांक क्रमशः 08.01.2021 व 19.10.2020 से स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इन सहअभियुक्तगण से गंभीर आरोप नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। राजस्थान अबाकारी अधिनियम के मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय आरोप हेतु प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है। सहअभियुक्त बलवंताराम, रमेश कुमार व प्रहलादराम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र क्रमशः 15029/2020 व 11431/2020 इस न्यायालय के आदेश दिनांक क्रमशः 08.01.2021 व 19.10.2020 से स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इन सहअभियुक्तगण से गंभीर आरोप नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेन्द्र पुत्र दीवान सिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

78/SN Lohra/336